

न्यायालय:-अमूल मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 298 / 18

संस्थित दिनांक 05.06.2018

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
 अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. मोहन पिता गेंदालाल सिर्वी
 उम्र 38 वर्ष, निवासी भमोरी
2. देवा पिता पन्नालाल बंजारा
 उम्र 37 वर्ष, निवासी बिलवा
3. शिवजी पिता भागीरथ बंजारा
 उम्र 36 वर्ष, निवासी बिलवा
4. गोविंद पिता रणछोड़ बंजारा,
 उम्र 35 वर्ष, निवासी बिलवा
5. हुकुम पिता हिरा बंजारा,
 उम्र 36 वर्ष, निवासी बिलवा

.....अभियुक्तगण

:: / / निर्णय / / ::

(आज दिनांक 05 / 06 / 2018 को घोषित)

1— अभियुक्तगण मोहन, देवा, शिवजी, गोविंद व हुकुम पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के तहत यह अभियोग है कि वे दिनांक 17.03.18 को शाम 5:00 बजे के लगभग बिलवा रोड गुरुद्वारे के पीछे नाले में लोक स्थान पर ताश पत्तों से रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाये गये।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण ने इस निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित आरोपों को स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव के स्वीकार किया है।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.18 को थाना अंजड़ के उपनिरीक्षक रेवाराम चौहान को देहात भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बिलवा में गुरुद्वारे के पीछे लाने में कुछ लोग ताश पत्ते का जुआं रूपये पैसे से हारजीत कर खेल रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर पंचान मोहन व हिरदाराम को तलब कर हमराह लिया व हमराही फोर्स मय पंचान के रवाना होकर

सूचना तस्दीक हेतु बिलवा रोड पहुंचा तथा आड लेकर देखा तो गुरुद्वारे के पीछे नाले में 5 व्यक्ति ताश पत्ते का जुआं रुपये पैसे से हारजीत का दांव लगाते हुए दिखाई दिये। हमराही फोर्स एवं पंचों को दिखाया तथा दबिश देकर जुआं खेलने वाले पांचों व्यक्तियों को पकड़ लिया तथा नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम मोहन पिता गेंदालाल सिर्वी बताया, जिसके कब्जे से 500 रुपये तथा 48 ताश पत्ते, तथा फंड से 4 ताश पत्ते एवं नगदी 200 रुपये, दूसरे ने अपना नाम देवा पिता पन्नालाल बंजारा बताया, जिसके कब्जे से नगदी 300 रुपये, तीसरे ने अपना नाम शिवजी पिता भागीरथ बंजारा बताया, जिसके कब्जे से नगदी 600 रुपये, चौथे ने अपना नाम गोविंद पिता रणछोड बंजारा बताया, जिसके कब्जे से नगदी 400 रुपये, पांचवे ने अपना नाम हुकुम पिता हिरा बंजारा बताया, जिसके कब्जे से नगदी 500 रुपये इस प्रकार कुल 2,500 रुपये नगद व 52 ताश पत्ते जप्त किये एवं पंचानों की उपस्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद थाना वापस आकर उनके विरुद्ध थाने का अपराध क्र. 120/18 अंतर्गत धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4— उक्त अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत अपराध विवरण विरचित किया जाकर अभियुक्तगण को अपराध विवरण पढकर सुनाये एवं समझाये जाने उन्होंने उक्त अपराध करना स्वीकार किया उनका अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है:—

क्या अभियुक्तगण मोहन, देवा, शिवजी, गोविंद व हुकुम ने दिनांक 17.03.18 को शाम 5:00 बजे के लगभग बिलवा रोड गुरुद्वारे के पीछे नाले में लोक स्थान पर ताश पत्तों से रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाये गये?

// निष्कर्ष के आधार //

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष

6— अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्तगण ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उन्होंने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण के द्वारा धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उन्हें धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्तगण की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख

पर नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध में 100/—, 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को 15—15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।

8— प्रकरण में जप्तशुदा 2,500 रुपये राजसात किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित।
एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमूल मंडलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.

(अमूल मंडलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.